N.E.H.M. OF INDIA

Auth. Ministry of Health & F.W.,Govt.of India (PDR)

Dt.: 01-06-2013

प्रिय चिकित्सकगण,

आप लोगों को यह ज्ञात कराना है कि मा0 सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर भारत सरकार ने पार्लियामेन्ट द्वारा एक Act (अधिनियम) i.e. Clinical Establishment (Registration & Regulation) Act, 2010 बनाया है जिसके तहत सम्पूर्ण राज्यों में रजिस्टर्ड चिकित्सक इस एक्ट में पंजीकृत होकर ही अब चिकित्सा कर सकेंगे। भारत सरकार ने यह कानून समस्त राज्यों व अनुशासित (केन्द्र शासित) प्रदेशों को भी भेज दिया है। हिमाचल राज्य मे यह कानून सभी जिलो में कियान्वित भी हो गया है। वहॉ के नर्सिग होम, MBBS, BHMS, BUMS, BAMS ,Yoga & Naturopathy एवं सिद्धा पद्धतियों के चिकित्सक इस एक्ट में पंजीकृत हो रहे हैं।

भारत सरकार की पॉलिसी डिसीजन / अध्यादेश (05.05.2010) के द्वारा एन0ई0एच0एम0 ऑफ इंडिया के सभी इलैक्ट्रोपैथी चिकित्सक अपना चिकित्सा व्यवसाय करेंगे, साथ ही स्वास्थ्य मंत्रालय, भारत सरकार ने माननीय प्रधानमन्त्री के आदेश पर इलैक्ट्रोपैथी का प्रचार-प्रसार और अनुसन्धॉन हेतु अधिकृत (Authorised) एकमात्र एन0ई0एच0एम0 ऑफ इंडिया संस्था को ही किया है।

स्वास्थ्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी पॉलिसी डिसीजन / अध्यादेश (05.05.2010) को कुछ राज्य की सरकारों ने जैसे हिमाचल, हरियाणा, दिल्ली, नागालेन्ड इत्यादि राज्यों ने कहा है, कि इस राज्य में एन0ई0एच0एम0 के योग्य चिकित्सक इलैक्ट्रोपैथी पद्धति में चिकित्सा व्यवसाय करेंगे।

हिमाचल राज्य की सरकार ने भी दिनॉक 15.03.2012 को समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को सूचित किया है, कि एन0ई0एच0एम0 ऑफ इंडिया के इलैक्ट्रोपैथी चिकित्सक चिकित्सा व्यवसाय करेंगे। (कॉपी प्रेषित)

हर्ष की बात है, कि भारत सरकार के Clinical Establishment (Registration & Regulation) Act -2010 के तहत MBBS, BHMS, BUMS, BAMS ,Yoga & Naturopathy एवं सिद्धा के साथ ही एन0ई0एच0एम0 ऑफ इंडिया के BEMS / MDEH को भी बराबर का दर्जा देते हुये उन्हें भी उक्त एक्ट के तहत पंजीकृत कर लिया है (कॉपी प्रेषित) साथ ही साथ DR. शब्द प्रदान कर दिया है।

विशेष :– MBBS, BAMS, BHMS, BUMS, सिद्धा , Yoga , Naturopathy BEMS (N.E.H.M) सबको बराबर का दर्जा प्राप्त है।

N.E.H.M. OF INDIA P.D.R. ELECTROPATHY NEW DELHI

कृते : एन0ई0एच0एम0 ऑफ इंडिया,
नई दिल्ली –58

जनहित में जारी

Electropathy/ Electro Homoeopathy is Regulated / Governed by Ministry of Health & F.W., Govt. of India vide order V.25011/130/2012-HR.